

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4007 वर्ष 2026****एस.पी. तिवारी उर्फ विकास तिवारी**

..... आवेदक

बनाम**प्रमुख सचिव, गृह, उ.प्र., लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य**

..... विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : रमाकर शुक्ला**विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)**

न्यायालय संख्या - 12**माननीय न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन है, जो केस क्राइम संख्या 382 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 118(1), 117(2), 109, 110, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना-गौरीगंज, जनपद- अमेठी में आलिप्त है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. अभियोजन कथानक में यह अभिकथित है कि दिनांक 11.11.2025 को लगभग सायं 6:00 बजे, चार अभियुक्तगण, जिनमें वर्तमान आवेदक भी सम्मिलित है, ने पान की दुकान से सम्बन्धित विवाद के कारण परिवादी पर लोहे की रॉड, फरसा तथा कुल्हाड़ी से आक्रमण किया। उक्त आक्रमण के परिणामस्वरूप परिवादी को अभिकथित रूप से क्षतियाँ पहुँचीं, जिनमें उसके हाथ में अस्थिभंग तथा सिर में क्षति सम्मिलित है। यह आगे अभिकथित है कि अभियुक्तगण ने परिवादी के पुत्रों पर भी आक्रमण किया। उसके एक पुत्र को अभिकथित रूप से दोनों पैरों में अस्थिभंग हुआ तथा उसे प्रारम्भ में जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ से उसे उच्चतर उपचार हेतु एम्स, रायबरेली संदर्भित किया गया। एक अन्य पुत्र को सिर एवं पैर में क्षतियाँ पहुँचने का कथन है तथा वह जिला चिकित्सालय, गौरीगंज में उपचाराधीन है। यह भी अभिकथित है कि घटना के दौरान परिवादी के भाई राकेश पर भी इसी प्रकार आक्रमण किया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अभियोजन कथानक में चारों आहत व्यक्तियों को पहुँची क्षतियों के सम्बन्ध में समस्त चार अभियुक्तगण, जिनमें वर्तमान आवेदक भी सम्मिलित है, के विरुद्ध केवल सामान्य एवं सर्वसमावेशी (ऑम्निबस) अभिकथन हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि किसी भी आहत साक्षी ने वर्तमान आवेदक को कोई विशिष्ट अथवा पृथक् भूमिका अध्यारोपित नहीं की है। यह आगे निवेदन किया गया कि चिकित्सीय आख्याओं के अनुसार आहत व्यक्तियों को पहुँची क्षतियाँ प्रकृति में साधारण हैं, सिवाय अवधेश को पहुँची दाहिनी अल्ना (उल्ना) अस्थि के एक अस्थिभंग तथा राकेश शर्मा को पहुँचे एक अन्य अस्थिभंग के। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अस्थिभंग शरीर के अमर्मस्थलों पर हैं।

5. उन्होंने आगे निवेदन किया कि सह-अभियुक्त सूरज तिवारी, चन्दन तिवारी उर्फ आकाश तिवारी तथा रामभोला उर्फ विवेक तिवारी को इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या 851 वर्ष 2026, 1599 वर्ष 2026 तथा 1577 वर्ष 2026 में क्रमशः पारित आदेश दिनांक 20.02.2026, 20.03.2026 के माध्यम से पूर्व में ही जमानत पर अवमुक्त कर दिया गया है। अतः यह निवेदन किया गया कि वर्तमान आवेदक समानता (पैरिटी) का अधिकारी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. यह आगे निवेदन किया गया कि आवेदक दिनांक 28.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है। कारागार से अवमुक्त होने के उपरान्त आवेदक के पलायन कर जाने अथवा साक्षियों से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक को जमानत पर अवमुक्त किए जाने की दशा में वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कित उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

8. प्रस्तुत निवेदनों पर सम्यक् विचार करने, अभिलेख के परिशीलन, उपरोक्त नामित सह-अभियुक्तगण के जमानत आदेश तथा इस तथ्य पर भी विचार करने पर कि आवेदक दिनांक 28.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है, तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे समानता के आधार पर आवेदक को जमानत पर अवमुक्त करने हेतु उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ।

9. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक- एस.पी. तिवारी उर्फ विकास तिवारी को उपरोक्त उल्लिखित वाद में, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, न्यायहित में अधिरोपित की जा रही निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए :-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को, उसे ऐसे तथ्य न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की दशा में विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

(vi) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अन्तर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

जून 4, 2026

रेनू

(न्यायमूर्ति ज़फ़ीर अहमद)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।